

# उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

## U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 4-विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-5-विनियम/88

दिनांक: 29 जनवरी, 2011

### कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.01.2011 को सम्पन्न हुई 85 वीं बैठक में उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 के भाग-III, भर्ती का स्रोत, विनियम-5(3) में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-88-विनियम एवं औस/पाकालि/10-5 रेग्यू/88 दिनांक 05.08.2010 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-93-विनियम एवं औस/पाकालि/10-5 रेग्यू/88 दिनांक 09.08.2010 के निम्न अंकित स्तम्भ-1 के वर्तमान विनियम को आंशिक रूप से संशोधित कर स्तम्भ-2 में अंकित विनियम से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत वर्तमान विनियम	विनियम 5(3) : भर्ती का स्रोत प्रतिस्थापित विनियम
5(3) "Notwithstanding anything contained in these Regulations the Board may make appointments to the service, in relaxation of these Regulations, from among employees of Electricity Undertakings or similar organizations which have been taken over or which may, in future, be taken over by the Board or five Assistant Engineers per year may be selected from the Top five merit position holders, in chronological order applying for the said post from such other Institutes/Colleges in which admission are made through IIT-JEE/ALL India Engineering Entrance Examination (AIEEE) and Government Colleges recognized by UP Technical University, UP or such other Institutes as the Board may decide from time to time on such terms and condition as may be decided by the Board"	5(3) Notwithstanding anything contained in these Regulations the Board may make appointments to the service, in relaxation of these Regulations, from among employees of Electricity Undertakings or similar organizations which have been taken over or which may, in future, be taken over by the Board or required number of Assistant Engineers per year may be selected from the Top five merit position holders, in chronological order applying for the said post from such Government Colleges recognized by UP Technical University, UP on such terms and conditions as may be decided by the Board. As such only 15 % vacant posts in a selection year will be filled from merit holders. In making such appointments reservation policy will be strictly followed.

- उपरोक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
- संगत विनियमावली के अन्य प्राविधान यथा संशोधित लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 4 (1)विनियम एवं औ०सं०/पाकालि/11-तददिनांक: 29/1/11

प्रतिलिपि कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-


1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।

2- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

क०५०३०

(2)

- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पाठकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 राज्य जल विद्युत निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 5- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पाठकालि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी / लखनऊ / मेरठ / आगरा एवं केरको, कानपुर।
- 7- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- अपर सचिव-प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अराजपत्रित / महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / सलाहकार(औस / काविनी), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 10- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 85 वीं बैठक दिनांक 08.01.2011 में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किए जाने हेतु।
- 12- पत्रावली संख्या-11-विनियम / 88 / कट फाइल।

  
(जावेद अहमद) 25/11/11  
अनुसचिव (विनियम)